राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

विविध प्रार्थना पत्र संख्या ...11, 12, 13, 14 व 15/2018.............................जिला..........जयपुर......................

उनवान – मैसर्स पिंकसिटी बिल्डकोम प्रा0 लि0 जयपुर बनाम् 1. अपीलीय प्राधिकारी, प्रथम वा.क. जयपुर 2. सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन राज. वृत्त प्रथम जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

खण्डपीठ
श्री के.एल.जैन, सदस्य
श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

23.02.2018

अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री अलकेश शर्मा एवं विभाग की ओर से श्री अनिल पोखरणा, उप–राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

यें पांचों विविध प्रार्थना पत्र राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ के संयुक्त आदेश दिनांक 22.08.2017 जिसके द्वारा निम्नाकिंत तालिकानुसार बकाया राशि पर स्थगन प्रदान करते हुये अपीलीय अधिकारी को उक्त आदेश प्राप्ति के तीन माह में अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करने के निर्देश दिये गये थे, के संबंध में प्रस्तुत किये गये है।

विविध प्रा.पत्र संख्या	कर बोर्ड की मूल अपील संख्या	स्थगित की गई राशि
11/18	1153/2017	3,42,568
12/18	1154/2017	11,25,330
13/18	1155/2017	12,13,084
14/18	1156/2017	24,79,874
15/18	1157/2017	12,01,680

अपीलीय अधिकारी द्वारा अभी तक उक्त प्रकरणों को सुनवाई में नहीं लिया गया है। इस आधार पर उन्होनें स्थगन आदेश अपील के निस्तारण तक बढाने का निवदेन किया है।

उप–राजकीय अभिभाषक द्वारा इस संबंध में कोई आपत्ति प्रकट नहीं की गई।

पॉंच प्रार्थना पत्रों में निहित बिन्दु समान होने के कारण इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है, निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक रखी जावें। विचाराधीन प्रकरणों में अधिनियम की धारा 38(4)के अन्तर्गत प्रस्तुत अपीलों में संयुक्त स्थगन आदेश दिनांक 22.08.2017 द्वारा जारी किया गया है जिसके द्वारा कर निर्धारण अधिकारी की संतुष्टि अनुरूप पर्याप्त जमानत प्रस्तुत करने की शर्त पर स्थगन आदेश पारित किया गया है व अपील तीन माह में निस्तारित करने के आदेश दिये गये है प्रकरणों में तीन माह की अवधि में अपीलों के निस्तारण नहीं होने के कारण अवधि बढाये जाने हेतु अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया है। चूंकि प्रकरणों में अपीलों का निस्तारण नहीं हो सका है, अतः अवधि बढाया जाना न्यायोचित एवं विधिसम्मत है। अतः प्रकरणों के तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत उक्त प्रकरणों में स्थगन पूर्व शर्तानुसार अपीलीय अधिकारी द्वारा मूल अपील के निस्तारण तक बढ़ाया जाता है।

समस्त पांचों विविध प्रार्थनों पत्रों का निस्तारण उपरोक्तानुसार किया जाता है।

(मदनलाल मालवीय)
सदस्य

(के.एल.जैन)
सदस्य